न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर बागपत

वाद संख्या 36

सन 2016
अ0 धारा 143 उ0प्र0ज0वि0अधिनियम
मौजा–अमीपुर बालैनी तहसील व जनपद बागपत।

श्री कृष्ण महाविद्यालय अमीपुर बालैनी द्वारा प्रबन्धक अनिल यादव पुत्र रघुवीर सिंह निवासी अमीपुर बालैनी परगना तहसील व जिला बागपत। बनाम सरकार आदि

संख्या 098/रीडर–2015 दिनांक 09/2/2015

परवाना अमलदरामद

तहसीलदार, सदर
बागपत

उक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 9/02/2016 के द्वारा ग्राम अमीपुर बालैनी तहसील बागपत के खाता संख्या 000718 के खसरा नम्बर 548मि0 रकबा 1.3900है0 भूमि राजस्व अभिलेख में श्री कृष्ण महाविद्यालय अमीपुर बालैनी का नाम बतौर संकमणीय भूमि पर नाम अंकित है। उक्त भूमि पर कोई कृषि कार्य बागवानी कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आदि कार्य नही किया जा रहा है। भूमि पर मौके पर चार दीवारी व कमरे बने है तथा आबादी मे प्रयोग कर रहे है। स्थल पर वर्तमान मे उक्त भूमि में कृषि अथवा कृषि सम्बन्धी कोई कार्य नही किया जा रहा है। भूमि पर मौके पर चार दीवारी व कमरे बने होने के कारण लगान समाप्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को उ0 प्र0 ज0 वि0 अधिनियम 1950 की धारा 143 के अर्न्तगत अकृषिक (गैर कृषि प्रयोजन हेतु) प्रख्यापित किया जाता है। वादी सचिव विकास प्राधिकरण बागपत/बड़ौत/खेकडा से मानचित्र स्वीकृत कराने व अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ करेगा।

अतः परवाने की दो प्रतियां आपको इस निर्देश के साथ भेजी जा रही है कि राजस्व अभिलेखो मे इन्द्राज कर परवाने की एक प्रति अपनी आख्या सहित एक सप्ताह में इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 9/02/2016

(राकेश कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी, सदर
बागपत